

# प्रियंका ने कहा, कांग्रेस विकास करती है, भाजपा जाति धर्म के नाम पर वोट मांगती है

पायलट बोले, जब कांग्रेस महंगाई की बात करती है तो भाजपा भारत-पाकिस्तान और मंदिर-मस्जिद याद करती है



केकड़ी में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने रघु शर्मा के समर्थन में जनसभा की।

केकड़ी, 20 नवम्बर (निर्स) सोमवार को केकड़ी के पटेल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. रघु शर्मा के समर्थन में आयोजित आमसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा की नीतियां जनता की कमर तोड़ रही हैं। राजस्थान सरकार ने भाजपा की नीतियों से आपको बचाकर रखा है। केकड़ी में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं। केकड़ी जिला बना, यहां 400 बेड का अस्पताल बना। इसी विकास के आधार पर कांग्रेस पार्टी आपसे वोट मांग रही है।

आमसभा में प्रियंका गांधी ने सबसे पहले स्थानीय देवी-देवताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि, त्योहार में जैसे हम पूजा करते हुए घर की सफाई करते हैं, वैसे ही जब चुनाव का समय आता है तो यहां भी सफाई जरूरी है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नर आउट करने में लगे हुए हैं। जबकि सच्चाई यह है कि, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी खुद ही हिट विकेट है। इसी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। ये दूरबीन से पूरे राजस्थान में ढूँढ रहे हैं कि, हमारा नेता कौन बन सकता है।

■ केकड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने।

■ सभा में रघु शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा ने प्रियंका को चुनरी ओढ़ाई। हैलीपैड से सभास्थल तक प्रियंका गांधी और पायलट पर 51 जे.सी.बी. से पुष्प वर्षा की गई।

लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा। कांग्रेस विकास की बात करती है, जबकि भाजपा जाति व धर्म के नाम पर वोट मांगती है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि, जो सरकार चल रही है उसने अच्छे काम किए हैं या नहीं, इन सब बातों का हमें आकलन करना है। आप सभी हमारी और भाजपा के नेताओं की बात सुनें और देखें किसमें कितना बजान है। उन्होंने कहा कि, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किसानों का 15 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। भाजपा ने देश की सम्पति बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएगी।

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि, केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग सभी परेशान हैं। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो भाजपा भारत-पाकिस्तान करती है। जब हम नौजवान व किसान की बात करते हैं तो भाजपा को मंदिर और मस्जिद याद आता है। आने वाले 25 नवम्बर को प्रदेश का भविष्य तय होगा। हम सब को मिलकर निर्णय करना है कि, नौजवान व किसान का भविष्य क्या हो।

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि, पिछले पांच साल में केकड़ी में विकास की गंगा बही है। विकास की इसी गति को बरकरार रखने के लिए

प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनानी होगी।

प्रियंका गांधी व सचिन पायलट का शानदार स्वागत किया। रघु शर्मा ने प्रियंका गांधी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। रघु शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा ने प्रियंका गांधी को चुनरी ओढ़ाई। इस मौके पर युवा नेता एवं पी.सी.सी. सदस्य सागर शर्मा तथा क्षेत्र के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस महासचिव रतन पवार ने किया।

प्रियंका गांधी व सचिन पायलट अलग-अलग हैलीकॉप्टर से केकड़ी पहुंचे और अजमेर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए एडवोकेट हैलीपैड पर उतरे।

यहां से सड़क मार्ग से, सभा स्थल गए। इस दौरान रास्ते में जगह-जगह लोगों ने उनका स्वागत किया और 51 जे.सी.बी. से पुष्प वर्षा की गई। रास्ते में प्रियंका गांधी व सचिन पायलट को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। केकड़ी में जनसभा के बाद प्रियंका गांधी व सचिन पायलट जहाजपुर के लिए रवाना हो गए।

चुनाव वाले पांच राज्यों में 1760 करोड़ रु. की नकदी, माल-असबाब जब्त

नयी दिल्ली, 20 नवंबर भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि, पांच राज्यों में इस समय चल रहे विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद उसने इन राज्यों में अब तक कुल 1760 करोड़ रुपये की नकदी, शराब और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्हें मुफ्त दिये जाने वाले सामान जब्त किये हैं। आयोग ने एक विज्ञापन में बताया कि, यह जबती प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग और समन्वय के साथ की गयी है। इन कार्रवाइयों में सबसे अधिक नकदी तेलंगाना में और सबसे कम (शून्य) नकदी मिजोरम में पकड़ी गयी है। इन राज्यों में इस बार की गयी जबती इन्हीं पांच राज्यों में 2018 में कराये गये राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान इस तरह की जबती की तुलना में करीब सात गुना है। प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक 373 करोड़ रुपये की नकदी, 215 करोड़ रुपये की शराब, 245 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 371 करोड़ रु. की बहुमूल्य धातुएं, 556 करोड़ रुपये के मुफ्त बांटने के सामान जब्त किये हैं। राजस्थान में 93.17 करोड़ रुपये की नकदी, 51.29 करोड़ की शराब, 91.71 करोड़ रु. के ड्रग्स, 73.36 करोड़ रु. के सामान पकड़े गये हैं।

# चुनाव जीतने के मामले में बेहद खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस के मंत्रियों का

जयपुर, 20 नवम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में पिछले 20 सालों के चुनाव का एक ट्रेंड रहा है कि कांग्रेस सरकार में जितने भी मंत्री होते हैं, वे अगले चुनाव में अगर फिर से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में जाते हैं, तो अधिकांश चुनाव हार जाते हैं। वर्ष 1998 में जीतकर मंत्री बने नेताओं और 2008 से 2013 की कांग्रेस सरकार में मंत्री बने नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो जीतने वाले मंत्रियों की संख्या 20-25 प्रतिशत के लगभग है।

इस बार की बात करें तो कांग्रेस सरकार के तीन मंत्री चुनाव मैदान से बाहर हैं हेमराम चौधरी, लालचन्द्र कटारिया और महेश जोशी। हेमराम चौधरी और लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और महेश जोशी का टिकट पार्टी ने काट दिया। बाकी जो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से भी अधिकांश कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। वर्ष 1998 में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे नेता जब 2003 में चुनाव लड़ने गए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सिर्फ 7 मंत्री चुनाव जीत पाए थे। दोनों उपमुख्यमंत्री कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा सहित अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए थे। इसी तरह 2008 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार में मंत्री बनने वाले नेता

■ गहलोत सहित 2003 में सिर्फ 7 और 2013 में मात्र पांच मंत्री ही चुनाव जीत पाए थे।

■ इस बार भी जितने भी मंत्री चुनाव मैदान में हैं, उनमें 5 के अलावा सभी की हालत खराब है।

हुए हैं। वर्ष 1998 में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे नेता जब 2003 में चुनाव लड़ने गए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सिर्फ 7 मंत्री चुनाव जीत पाए थे। दोनों उपमुख्यमंत्री कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा सहित अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए थे। इसी तरह 2008 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार में मंत्री बनने वाले नेता

जब 2013 में चुनाव मैदान में उतरे तो जीतकर आने वाले मंत्रियों की संख्या सिर्फ पांच रह गई थी और बाकी सभी चुनाव हार गए थे। अब 2023 विधानसभा चुनाव में मतदान में 5 दिन ही बाकी रहे हैं और राजस्थान में चुनाव लड़ रहे मंत्रियों की स्थिति पर नजर डालें, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना, बुजेंद्र ओला और मुरारी लाल मीणा ही सहज स्थिति में नजर आ रहे हैं। अधिकांश मंत्रियों की स्थिति बहुत ही खराब है कई मंत्री तो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी भी नजर आ रही है, इसलिए यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से 2003 और 2013 में कांग्रेस सरकार के अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए थे क्या इस बार भी वही स्थिति होगी।

# ‘क्या कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर मंजूरी को रोक कर बैठे रह सकता है’

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ दायर की गई, वहां की सरकार की याचिका की सुनवाई करते हुए सवाल उठाया

—डॉ. सतीश मिश्रा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कानूनी मुद्दा उठाते हुए आज प्रश्न किया कि “क्या कोई राज्यपाल किसी विधेयक को विधानसभा में पुनः भेजे बिना उस पर अपनी स्वीकृति को रोककर बैठे रह सकता है? विधेयकों को मंजूरी देने में विलम्ब करने को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई पुनः शुरू की। इस दौरान उसने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के लिए कड़े सवाल किए।

शीर्ष अदालत ने पंजाब और केरल की सरकारों द्वारा दायर इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा “ये विधेयक वर्ष 2020 से लम्बित है? यह तीन साल से क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पावटीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक बेंच ने सीनियर एडवोकेट के.के. गुणगोपाल के निवेदन

■ चीफ जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पावटीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पूछा कि, क्या विधेयक को विधानसभा में पुनः नहीं भेजना राज्यपाल का जायज़ कदम है।

पर गौर किया, जिसमें राज्यपाल पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आठ विधेयकों को अपनी मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब किया है।

राज्यपाल रवि द्वारा दस विधेयकों को लौटाने के कुछ दिन बाद कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जतायी। इनमें से दो विधेयक तो पूर्ववर्ती ए.आई.ए.डी.एम.के. सरकार के कार्यकाल में पारित किए गए थे। उसके बाद तमिलनाडु विधानसभा का गत शनिवार को एक विशेष सत्र आयोजित कर सभी दसों विधेयकों को पुनः स्वीकार कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए वापस भेजा गया। कोर्ट ने इस घटनाक्रम पर आज सुकह गौर करते हुए कहा कि “विधानसभा ने विधेयक पुनः पारित कर राज्यपाल के पास भेजे हैं। देखते हैं वह

अब क्या करते हैं।” कोर्ट ने यह टिप्पणी कर इस प्रकरण में आगामी 1 दिसम्बर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि विधेयकों के पुनः पारित होने पर उनकी अहमियत वित्त विधेयकों के समान ही हो जाती है। तमिलनाडु सरकार ने भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल पर विधेयकों की मंजूरी में जानबूझकर विलम्ब करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह एक निर्वाचित सरकार को कमजोर कर राज्य के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं।

सत्तारूढ़ द्रमुक ने कोर्ट में कहा कि राज्यपाल विधेयकों को स्वीकृत करने में जानबूझकर विलम्ब कर जनभावना की अनदेखी कर रहे हैं। डी.एम.के. ने कोर्ट से कहा कि राजभवन के लिए विधेयकों

को मंजूरी देने की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए अधिकांश विधेयकों में राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने में राज्यपाल की “चंसलर” शक्तियों पर कटौत गए हैं। सत्तारूढ़ डी.एम.के. मुख्यमंत्री को यूनिवर्सिटीज का चंसलर बनाना चाहती है। आज की सुनवाई में तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अधिषेक सिंघवी व मुकुल रोहतगी और तमिलनाडु के राज्यपाल की पैरवी कर रहे सीलिसिटर जनरल तुषार मेहला के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। सिंघवी और रोहतगी ने कहा कि “राज्यपाल ने बिना कोई कारण बताए विधेयक लौटा दिए। उन्होंने सिंघवी की हर बात का उल्लंघन किया है।” इस पर सीलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि “राज्यपाल महज एक टैकिनकल सुपरवाइजर नहीं है।” कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि रवि के समक्ष कुल 181 अनदेखी कर रहे हैं। डी.एम.के. ने कोर्ट से कहा कि राजभवन के लिए विधेयकों

## भाजपा हाई कमान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से कसमें खायी हैं कि, वे तो हाई कमान के, पार्टी के वफादार हैं, किसी नेता विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि, इन चालीस उम्मीदवारों का यह माददा नहीं है कि, हाई कमान के निर्देश की अवहेलना कर सके।

साथ ही “फाइनेंस” (24 का लोकसभा चुनाव) में सफलता के लिये, हाई कमान भी नहीं चाहता कि, किसी तरह भी वसुंधरा जी पूर्णतया बगवान की मूद्रा में आ जायें और भाजपा पिछले लोकसभा का रिजल्ट दोहरा नहीं पाये। गत लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान की सभी 25 सीटों पर विजयी हुई थी। इस बार यह माना जा रहा है कि, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में भाजपा को सीटों का नुकसान होगा, लोकसभा चुनाव में। ऐसे में राजस्थान में सभी लोकसभा सीटों को जीतना और भी जरूरी हो गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगभग बाइस सीटें कम मिली थीं तथा कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। पर कुछ महीनों बाद आयोजित लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पुनः पच्चीस में से पच्चीस सीटें जीती थीं। उस समय का नारा, “मोदी तेरे से बेर नहीं, पर वसुंधरा तेरी खैर नहीं” अनायास ही याद आ जाता है।

बहरहाल संसद के चुनाव में मोदी का रंग मतदाता के सिर चढ़ कर बोलता है। इस बार भी कुछ और हो ना हो, मोदी के कंधों पर ही लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेवारी रहेगी। पर, यदि विपक्ष की एकता का प्रयास सफल हो गया और भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की कोशिश कामयाब हो गयी तो, भाजपा के समक्ष

एक दिक्कत हो सकती है। यह एक और कारण है, राजस्थान में वसुंधरा राजे को “खुश” रखने का और कम से कम खुली बगवत के मुठ में आने से रोकने का एक तरफ कुआं (वसुंधरा राजे को मु.मंत्री बनाने का विकल्प) और दूसरी ओर खाई, यानी राजस्थान में कम से कम लोकसभा चुनाव का रिजल्ट खरारे में डालने का “ऑपरेशन”, इनके बीच भाजपा हाई कमान ने अपनी किरती बड़ी “मैथ्योरिटी” (समाई व समझदारी) से चलाई है।

और, आगे भी अगर भाजपा को अपनी किरती खेते रहना है तो, एक ही समाधान है कि, वसुंधरा राजे को “ग्रेसफुल एक्जिट” (सम्मानजनक विकल्प) देकर खुश नहीं तो, कम से कम संतुष्ट रखें, पूर्णतया असंतुष्ट नहीं होने दें। यह दिक्कत की बात है, पर स्वाभाविक है कि, मुख्यमंत्री की कुर्सी के सामने सभी अन्य विकल्प कुछ फीके से लगते होंगे वसुंधरा जी को। अतः केवल समझाइश से या पार्टी के कहित का और हाई कमान की गरिमा का अहवाल देकर वसुंधरा जी का मन बदलवाना संभव नहीं। यह तो ऐसा है कि, बीन की मनमोहक धुन सुना कर सांप को सम्मोहित कर लेना और उम्मीद करना कि वह आपकी माँग आपको सप्रेम दे देगा। केवल राजनीतिक लेन-देन दोनों पार्टियों को माफिक आ जाये, ऐसा समाधान अगर केवल शुद्ध राजनीतिक सौदेबाजी पर आधारित होगा तभी सफल होगा। अतः यह देखना काफी रोचक होगा कि, हाई कमान क्या ऑफर करता है और वसुंधरा जी उसमें क्या परिवर्तन करती हैं, स्वीकार करने से पहले, और बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विकास को आगे बढ़ाना चाहती है परंतु यहां कांग्रेस की सरकार ने पांच वर्षों में राज्य को पीछे धकेल दिया। मोदी ने कहा रानीवाड़ा के प्राचीन हनुमान मंदिर में दलित पुजारी हैं यहां महिलाओं एवं दलितों को कांग्रेस गालियां कांग्रेस दे रही है। मोदी ने कहा, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करने वाला घमण्डिया गठबन्धन कभी भला नहीं कर सकता। राजस्थान मुख्यमंत्री कहते हैं थाने में महिलाएं फर्जी बातों लिखवाती हैं। दिल्ली के कांग्रेसी नेता जादूगर की बात मानते हैं।

मोदी ने मोबाईल खर्च घटने, बेहतर कोविड प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पाली जिले में 35 हजार आवास बनाए गए और अधिक बन सकते थे परंतु कांग्रेस सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया। हर घर नल कनेक्शन में भी छोटाला किया। उन्होंने कहा कि पानी चाहिए तो कांग्रेस से मुक्ति पानी होगी। पर्यटन पर चर्चा करते हुए मोदी ने कहा पाली से गोरमघाट तक हैरिटेज ट्रेन चलाई गई एवं पहले उन्हे स्टेशनों के आधुनिकरण किया जा रहा है। फ्रेंट कॉरिडोर से भी क्षेत्र में उन्नति सिंह एवं स्थानीय देवताओं को नमन किया और उन्होंने कहा कि वे वोट मांगने नहीं आए। 3 दिसम्बर को शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आए हैं।

इस मौके पर पाली से सांसद पी.पी. चौधरी तथा पाली की सभी विधानसभा सीटों के प्रत्याशी भी मौजूद थे।

# सहारा का “अनक्लेमड फण्ड” सरकारी खजाने में मिलाने की तैयारी?

—श्रीरंज झा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। केन्द्र सरकार अगले वर्ष होने जा रहे लोकसभा चुनावों से महीनों पूर्व सहारा के 25 हजार करोड़ से अधिक के लावारिस कॉर्पस फण्ड्स को ट्रांसफर करने की विधिक प्रक्रिया पर काम कर रही है। ये फण्ड्स सेबी के पास रहे हुए हैं।

सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के हाल ही हुए निधन के बाद ये लावारिस फण्ड्स फिर से सुर्खियों में आए हैं और उम्मीद है कि अब इन्हें भारत

की समेकित निधि में ट्रांसफर किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इनका उपयोग भारत सरकार द्वारा गरीबों और सामाजिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

जिन विधिक प्रक्रियाओं पर काम किया जा रहा है, उनके अन्तर्गत निवेशकों को उनकी राशि रिफण्ड करने

सेबी के पास सहारा का 25,000 करोड़ रुपया जमा है, जिसके लिए किसी ने भी दावा नहीं किया है

का भी एक प्रावधान बनाया जाएगा। तथापि और अन्य निवेशकों के आगे आने की संभावना ना के बराबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहल पर जब सहारा सेबी रिफण्ड अकाउण्ट तैयार किया गया था तब गत दशक की राशि का दावा करने वाले बहुत कम निवेशकों ने इसमें आवेदन किया था।

सेबी ने वर्ष 2011 में सहारा रियल

एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया था उसने 3 करोड़ निवेशकों का 25 हजार करोड़ का जो कॉर्पस फण्ड निर्मित किया था, उन्हें उनकी रकम रिफण्ड की जाए। इन निवेशकों ने सहारा के पूर्ण परिवर्तनीय बॉण्ड्स खरीदे थे। मार्केट रेंग्युलेटर सेबी ने माना था कि सहारा ग्रुप कम्पनियों ने

नियमों का उल्लंघन कर फण्ड्स जुटाए हैं। सेबी ने आदेश दिया था कि इस राशि को 15 प्रतिशत ब्याज जोड़कर निवेशकों को रिफण्ड किया जाए।

सहारा ग्रुप ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि शीर्ष अदालत ने सेबी के आदेश को सही माना और सहारा कम्पनियों को निर्देश दिए कि वे सेबी में फण्ड्स जमा कराएँ। ग्रुप

के चेयरमैन सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना ना करने को लेकर वर्ष 2014 में गिरफ्तार किया गया था और इस ग्रुप ने जब सेबी द्वारा नियंत्रित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्पेशल अकाउण्ट्स में 24 हजार करोड़ रुपए जमा कराए तो रॉय को वर्ष 2016 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस वर्ष 31 मार्च को सहारा-सेबी रिफण्ड अकाउण्ट में उपाधित ब्याज सहित कुल 25 हजार 163 करोड़ रुपए जमा थे। इस अकाउण्ट से अब तक 17 हजार 526 निवेशकों को 138 करोड़ की राशि रिफण्ड की गई है।